एड्स टीके के वैज्ञानिक को सज़ा

आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व जैव चिकित्सा वैज्ञानिक डोंग-प्यू हान को वैज्ञानिक धोखाधड़ी के एक मामले में 57 माह के कठोर कारागार की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा हान पर 72 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है और जेल से छूटने के बाद भी उन पर पूरे तीन साल तक नज़र रखी जाएगी।

उपरोक्त सज़ा उन्हें इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने एड्स टीके के परीक्षण के दौरान आंकड़ों में हेराफेरी की थी। यह परीक्षण यूएस के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुदान से किया जा रहा था। आयोवा विश्वविद्यालय ने इस मामले की जांच के बाद 2013 में यह फैसला सुनाया था कि हान ने प्रयोग के परिणामों से छेड़छाड़ की थी। यह फैसला आने के बाद हान को विश्वविद्यालय से इस्तीफा देना पड़ा था। जांच में पता चला था कि हान ने प्रायोगिक खरगोशों के खून में मानव एचआईवी एंटीबॉडीज़ मिला दी थी ताकि यह दर्शाया जा सके कि इन खरगोशों में एड्स वायरस के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित हुई है।

सामान्य तौर पर बात इतने पर खत्म हो जाती। दरअसल हान ने अपना अपराध कबूल भी कर लिया था और विश्वविद्यालय को सूचित किया था कि बरसों पहले प्रयोग करते समय उनके हाथों सैम्पल में मिलावट हो गई थी। उसे छिपाने के लिए उन्होंने वर्तमान प्रयोगों में जानबूझकर गड़बड़ी की थी। विश्वविद्यालय का फैसला आने के बाद यूएस के अनुसंधान ईमानदारी कार्यालय ने हान को तीन वर्ष के लिए संघीय अनुदान से वंचित कर दिया था।

मगर आयोवा के रिपब्लिकन सीनेटर चार्ल्स ग्रेसली की नज़र इस मामले पर पड़ गई और उन्होंने तय किया कि हान को जो सज़ा मिली है वह बहुत कम है। सीनेटर ग्रेसली जैव चिकित्सकीय अनुसंधान में कदाचरण की जांच के लिए मशहूर हैं। ग्रेसली ने 2014 में अनुसंधान ईमानदारी कार्यालय को लिखा कि हान को जो सज़ा मिली है वह एक ऐसे डॉक्टर के लिए बहुत कम है जिसने टीका परीक्षण में हेराफेरी की और करदाताओं के लाखों डॉलर एक फर्जी अनुसंधान पर खर्च कर दिए। अंततः संघीय वकील ने मामले को अदालत में उठाया। हान को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया। फरवरी 2015 में हान ने अपना अपराध कबूल कर लिया। अदालत ने उन्हें 57 माह की कैद और 72 लाख डॉलर जुर्माने की सज़ा सुनाई।

यूएस में इस कठोर सज़ा पर बहस जारी है। कई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हान का अपराध इतना संगीन नहीं था। दूसरी ओर, सीनेटर ग्रेसली का कहना है कि वे इस मामले को आगे और मामलों की रोकथाम की दृष्टि से देखते हैं। वैसे कानून विशेषज्ञों का ख्याल है कि ऐसे फैसलों से रोकथाम होगी, ऐसा लगता नहीं है। ***(स्रोत फीचर्स)***